प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–एक नजर में

"हर खेत को पानी" के लक्ष्य के साथ केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरूआत की गई है। इसके अन्तर्गत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुँचाने हेतु 5 वर्ष (2015–16 से 2019–20) के लिए 50,000 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश के कृषि भूमि को सिंचाई का संरक्षित स्त्रोत उपलब्ध कराना है ताकि पानी के प्रत्येक बूंद से अधिक से अधिक फसल उत्पादन किया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाई जा सके।

इस योजना में पानी के दक्षतापूर्ण परिवहन को बढ़ावा देने हेतु उपकरणों जैसे भूमिगत पाईप प्रणाली, पीवोट रेनगन और अन्य उपकरणों आदि को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। उपलब्ध पानी की मात्रा को फव्वारा और बूंद–बूंद सिंचाई विधियों द्वारा उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे 30–40 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सके। जिन क्षेत्रों में भूमिगत पानी की उपलब्धता हैं वहां पर नलकूप लगा कर सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जहां सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध हैं अथवा निर्मित हैं उनके वितरण नेटवर्क का विस्तार करना तथा पनधारा आधार पर अन्य संबद्ध गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन भी शामिल हैं।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार के अनुदान की व्यवस्था है:

1. **बूंद–बूंद (ड्रिप) सिंचाई:** इसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए कुल स्थापना लागत का 45 से 60 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों के लिए 35 से 45 प्रतिशत सहायता राशि दी जाती है। अधिक अन्तराल वाली फसलों के लिए मानक स्थापना लागत 23500 से 58400 रूपये प्रति हेक्टेयर और कम अन्तराल वाली फसलों के लिए 85400 से 100000 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। अधिकतम सहायता प्रति लाभार्थी/समूह 5 हेक्टेयर तक सीमित है।
2. **फव्वारा (स्प्रिंकलर) सिंचाई:** इसके अन्तर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि बूंद–बूंद सिंचाई योजना के समान ही स्थापना लागत का निर्धारित प्रतिशत होगी। माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए मानक स्थापना लागत 58900 रूपये प्रति हेक्टेयर, मिनी स्प्रिंकलर के लिए 85200 रूपये प्रति हेक्टेयर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए 19600 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा अधिक आयतन वाले स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम (रेन गन) के लिए 31600 रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किए गए हैं। अधिकतम सहायता प्रति लाभार्थी/समूह 5 हेक्टेयर तक सीमित है।

इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.) के अन्तर्गत सामुदायिक जल संचयन निर्माण पर 10 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र हेतु 500 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/आर.सी.सी. लाइनिंग

के लिए अधिकतम 20 लाख रूपये प्रति ईकाई की सहायता उपलब्ध है। व्यक्तिगत तालाब/टैंक/कुँए के निर्माण पर 0.2 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र हेतु 300 माइक्रोन प्लास्टिक लाइनिंग/आर.सी.सी. लाइनिंग के लिए अधिकतम 1.5 लाख रूपये प्रति लाभार्थी की सहायता उपलब्ध है।

राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एन.एम.एस.ए.) के अन्तर्गत उथले व मध्यम ट्यूब वेल/बोर वेल के निर्माण हेतु कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा 25 हजार रूपये प्रति इकाई तक (जो भी कम हो) तथा छोटे तालाब की मरम्मत/नवीनीकरण हेतु कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा 15 हजार रूपये प्रति इकाई तक सहायता की व्यवस्था है। सिंचाई की पाइपें बिछाने हेतु 50 रूपये प्रति मीटर एचडीपीई पाइप के लिए तथा 35 रूपये प्रति मीटर पीवीसी पाइप के लिए सहायता की व्यवस्था है, जो कि कुल लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा 15 हजार रूपये प्रति किसान/लाभर्थी (जो भी कम हो) निर्धारित की गई है।

इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के साथ–साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को दी गई है। इसके लिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एन.ई.सी.) गठित की गई है जो कि कार्यक्रम कार्यान्वयन, संसाधनों के आवंटन, अंतर–मंत्रालयी समन्वयन, निगरानी और मूल्यांकन आदि का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त सम्बंधित केन्द्रीय मंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (एन.एस.सी.) कार्यक्रम की निगरानी करेगी।

केन्द्र सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों में 80.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए 86500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान बजट प्रावधान एवं बाजार ऋण से 12517 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष नाबार्ड के माध्यम से लगभग 20000 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन सिंचाई कोष सृजित करने का भी प्रावधान है। किसान अपने खेत एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं को ग्राम पंचायत के माध्यम से सम्बन्धित ब्लॉक एवं जिला सिंचाई योजना में सम्मिलित करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी हेतु किसान अपने जिले/ब्लॉक के कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
संकलन एवं सम्पादनः डॉ. अनिल कुमार, डॉ. प्रेम सिंह एवं डॉ. आजाद सिंह पंवार
प्रकाशनः निदेशक, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
फोनः 0121–2888711, 2888611 **फैक्सः** 0121–2888546
ई मेलः directoriifsr@yahoo.com **वेबसाइटः** www.iifsr.res.in